सं०सं०–17/ए 3–16/2006 – 189(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सुरेश कुमार शर्मा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य/अधीक्षक,
सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल,
प्राचार्य,
पटना दंत महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक – 1/4/2015

विषय :– संविदा के आधार पर नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों के संविदा अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–680(17) दिनांक–25.09.2014 द्वारा राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में संविदा पर नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट/सहायक प्राध्यापकों एवं दंत चिकित्सा महा0 एवं अस्पताल में संविदा पर कार्यरत चिकित्सक शिक्षको का अवधि विस्तार विभागीय पत्रांक–1228(17) दिनांक 14.11.13 के शर्तो के अधीन दिनांक–31.03.15 तक के लिए किया गया था।

विभागीय पत्रांक–680(17) दिनांक–25.09.14 के क्रम में विभागीय पत्रांक–1228(17) दिनांक–14.11.13 के शर्तो के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के संविदा पर नियुक्त ट्यूटर/सीनियर रेजिडेन्ट/सहायक प्राध्यापकों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल पटना में संविदा पर कार्यरत दंत चिकित्सक शिक्षको का अवधि विस्तार दिनांक–30.09.2015 तक अथवा अभ्यर्थियों की उपलब्धता एवं उनका पदस्थापन होने तक जो भी पहले हो तक के लिए किया जाता है।

विश्वासभाजन

(सुरेश कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :–17/ए 3–16/2006 – 189(17) पटना, दिनांक– 1/4/2015

प्रतिलिपि :–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (श्री शर्मा) के निजी सहायक/विशेष कार्य पदाधिकारी (प्रभारी प्रशाखा,17 )एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–प्रशाखा पदाधिकारी 1,7 एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:/folder R.N.K. Sinha/ Letter-1